हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

बारहवां सत्र

सोमवार, 24 अगस्त, 2026/02 भाद्रपद, 1948(शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित :

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य :

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे।

3. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे :

सचिव, विधान सभा, निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राष्ट्रपति महोदया/राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

(1) हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 8);

(2) हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 9);

(3) हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2024 (2026 का अधिनियम संख्यांक 10);

(4) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 11);

(5) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 12);

(6) शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 13);

(7) हिमाचल प्रदेश लिफ्ट (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 14); और

(8) हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग विधेयक, 2026 (2026 का अधिनियम संख्यांक 15)।

4. अध्यादेश :

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 29.07.2026 को प्रख्यापित, **शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अध्यादेश, 2026 (2026 का अध्यादेश संख्यांक 2)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

(2) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 06.05.2026 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (2026 का अध्यादेश संख्यांक 1)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे।

5. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएगें :

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग सचिवालय प्रशासन सेवाएं-I (आशुलिपिक, ग्रुप-सी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्या: कार्मिक (एस0ए0एस0-I)ए(3)-3/2025-I, दिनांक द्वारा 06.07.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 09.07.2026 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संयुक्त सचिव गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं, वर्ग-ए के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्या: पर (एपी-बी)ए(3)-3/2025, दिनांक द्वारा 30.04.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 05.05.2026 को प्रकाशित।

(2) श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) तीसरा संशोधन नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: पीसीएच-एचए(1)-18/2008-III-24112-305, दिनांक द्वारा 18.04.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 20.04.2026 को प्रकाशित; और

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) संशोधन नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: पीसीएच-एचए(1)-4/2006-III-पेसा-39211-39368, दिनांक द्वारा 09.07.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 22.07.2026 को प्रकाशित।

6. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2026-27), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **134वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा **डिज़िटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **135वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **54वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(3) समिति का **136वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **119वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2026-27),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **34वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (आर्थिक क्षेत्र) मार्च, 2019 के **ऑडिट पैरा संख्या: 5.31** की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी (बेबरेजेज) सीमित** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2017-18) पर बने **17वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री राम कुमार, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2026-27),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(1) समिति का **20वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मत्स्य विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(2) समिति का **21वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **कृषि विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

7. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) श्री विनोद सुल्तानपुरी, "to call the attention of the House regarding embezzlement of 20 crores in the Subathu urban NATCS (Non-Agricultural Thrift and Credit Society)."

(2) श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, "to call the attention of the House that the government may consider extending State Quota eligibility to the children of Bonafide Himachalis whose parents are serving outside State."

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) **श्री विपिन सिंह परमार**
श्री नीरज नैय्यर
डॉ0 जनक राज
श्री पवन कुमार काजल, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों के निर्माणाधीन भवनों, आधुनिक उपकरणों, दवाओं की उपलब्धता, रिक्तियां तथा स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता प्रदान करने बारे" यह सदन विचार करे।

(2) **श्री केवल सिंह पठानिया,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश के जल संसाधनों/जलविद्युत परियोजनाओं से देय रॉयल्टी, फ्री पावर, जल उपकर की बकाया देयताओं (Liabilities) की वसूली तथा राजस्व हितों के संरक्षण हेतु" यह सदन विचार करे।

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 22 अगस्त, 2026 **सचिव।**

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)